1942

C621

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

श्री मुकेश शर्मा, तत्कालीन अवर निरीक्षक मद्यनिषेध सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के गया पदस्थापन अवधि में दिनांक 02.02.2021 को गांजा लदी पिकअप भान को पकड़ने, अनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वाहन को छुपाकर रखने एवं इसकी सूचना वरीय पदाधिकरी को नहीं दिये जाने के मामले में गुप्त सूचना के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा श्री शर्मा को गिरफ्तार कर शेरघाटी थाना कांड सं0–75/2024 दिनांक 03.02.2021 दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश से इन्हें विभागीय आदेश सं0–562 दिनांक 12.02.2021 द्वारा निलंबित किया गया एवं इनके विरुद्ध विभागीय आदेश सं0–4246 दिनांक 23.08.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें श्री विनय कुमार, तत्कालीन संयुक्त सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री विनय कुमार, संयुक्त सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी के स्थानांतरण के फलस्वरुप उक्त मामले में विभागीय आदेश सं0–5443 दिनांक 17.10.2022 द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप सचिव, मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–246 दिनांक 05.12.2022 द्वारा द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री शर्मा के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, भ्रष्टाचार करने एवं घटना की सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं दिये जाने का आरोप को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश से विभागीय आदेश सं0–1882 दिनांक 11.04.2023 द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित किया गया।

2. उक्त बर्खास्तगी शास्ति के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9871/2023 (मुकेश शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) वाद दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 12.01.2024 को आदेश पारित करते हुए बर्खास्तगी आदेश सं0–1882 दिनांक 11.04.2023 एवं अपील आदेश सं0–2658 दिनांक 22.05.2023 को निरस्त करते हुए श्री शर्मा का सेवा वापसी करने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 12.01.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

" It is Specific contention of the petitioner that he has given reply to first show cause as well as second show cause, But no witnesses were examined in this case and Further the orders passed by the disciplinary authority also indicate that no witnesses were examined in this case so as to prove that writ petitioner has taken illegal gratification, the date of offence for which he has been removed from the service, for the above said discussion, It is just necessary to set aside the order, as they are violate of principles of Natural justice.

Therefore, this court is of the considerable view that orders passed by the disciplinary authority dated 11.04.2023 and by the appellate authority dated 22.05.2023 are fit to be quashed.

Accordingly, the orders passed by the disciplinary authority dated 11.04.2023 and by the appellate authority dated 22.05.2023 are hereby quashed and this writ application stands allowed "

3. आदेश के अनुपालन में विलम्ब होने के कारण श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एम0जे0सी0 सं0–2538/2024 दायर किया गया। इसी क्रम में विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 12.01.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध एल0पी0ए0 दायर किया गया। माननीय

उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **दिनांक 25.10.2024** को निम्नलिखित रुप से आदेश पारित करते हुए एल0पी0ए0 को खारिज किया गयाः–

" We find that no such power was invoked by the disciplinary Authority, and the Disciplinary Authority has imposed a punishment of dismissal.

In the above circumstances, the prejudice caused is to the Department, Who had appointed an Inquiry officer and also aapointed a Presenting Officer for the producing evidence with respect to the allegations leveled against the delinquent employee, which is on account of its own laxity. The Enquiry officer was appointed by the disciplinary authority and so was the presiding officer. If they failed to carry out of the enquiry in a legal manner and the Disciplinary authority imposed the punishment based on an enquiry report containing findings of guilt without any valid, legal evidence, then the enquiry and the consequent punishment has to be interferd with, which the learned single judge has rightly done.

We find absolutely no reason to interfere with the order of the learned single judge and we dismiss the appeal in limine.

4. एम0जे0सी0 सं0–2538/2024 में दिनांक **28.10.2024** को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेश पारित करते हुए 01 माह के अन्दर विभाग को समुचित निर्णय लेने का आदेश दिया गया। दिनांक 28.10.2024 को पारित आदेश निम्नवत् हैः–

" This court grants one month's time for deciding the matter. In case the opposite parties do not decide the matter within the stipulated period, the petitioner is at liberty to challenge it.

With the above said observation, contempt case is closed.

5. इसी क्रम में श्री शर्मा द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एम0जे0सी0 सं0–4470/2024 दायर किया गया। सुनवाई के क्रम में दिनांक 18.03.2026 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्न निदेश दिये गयेः–

" In case the respondents fail to comply with the order, they shall remain present before this court on the next date , In the event of compliance. The personal appearance shall stand dispensed with.

6. संदर्भित मामले में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा SLP में जाने हेतु परामर्शित किया गया। प्राप्त परामर्श के आलोक में SLP (C) case No. 5620/2025 दायर किया गया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है।

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 18.03.2026 को पारित न्यायादेश की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9871/2023 (मुकेश शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) वाद में दिनांक 12.01.2024 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए श्री शर्मा के बर्खास्तगी आदेश सं0–1882 दिनांक 11.04.2023 को इस शर्त के आधार पर निरस्त करने का निर्णय लिया गया कि यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP (C) case No. 5620/2025 में पारित आदेश के फलाफल पर से प्रभावित होगा।

अतः उक्त के आलोक में श्री मुकेश शर्मा, तत्कालीन अवर निरीक्षक मद्यनिषेध के बर्खास्तगी आदेश सं0–1882 दिनांक 11.04.2023 को निरस्त किया जाता है।

8. यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP (C) case No. 5620/2025 द्वारा पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

9. यह आदेश श्री शर्मा के संदर्भ में ही प्रभावी होगा।

10. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

30.3.26

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 8 / अरा0 उत्पाद आरोप–05 / 2021 1942 दिनांक– 30.03.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / माननीय अधिवक्ता, गर्वनमेंट प्लीडर नं0–7 / आयुक्त उत्पाद के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध / सभी उपायुक्त मद्यनिषेध / सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध / सभी अधीक्षक मद्यनिषेध / कोषागार पदाधिकारी, गया एवं मुजफ्फरपुर / विभागीय स्थापना शाखा–7 / विभागीय आई0 टी0 मैनेजर / श्री मुकेश शर्मा, निलंबित अवर निरीक्षक मद्यनिषेध, गया सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.26

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।